

सं०सं०-9/आ०-09-13/2023(स्वा०).....

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, कटिहार के पत्राक-419 दिनांक-26.02.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० दिपीका (R.No-BR00150160002323 जन्म तिथि-11.08.1988) चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार दिनांक-15.09.2020 को योगदान के पश्चात् लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० दिपीका के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय सकल्प रा०-59(9) दिनांक-17.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का गंतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्राक-587(9) दिनांक-01.06.2023 द्वारा डा० दिपीका से द्वितीय कारण-पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की गई। द्वितीय कारण-पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-13.08.2023 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा० दिपीका को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-596 दिनांक-15.05.2025 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-29.07.2025 को सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-34 पर मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा० दिपीका, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को दिनांक-15.09.2020 को योगदान के पश्चात् लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:-सकल्प की प्रति डा० दिपीका एवं सभी संबंधितों को निबधित डाक से भेजा दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-09-13/2023(स्वा०).....882(9)/ पटना, दिनांक: 31.7.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा० दिपीका, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य राचिव, मन्त्रिमंडल राचिवालय विभाग के प्रधान आर्ष सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2025

(15)

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 5, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आईटी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना का विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपेक्ष
30/07/2025
सुरकार के अवर सचिव।